



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 418]

नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 14, 2018/कार्तिक 23, 1940

No. 418]

NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 14, 2018/KARTIKA 23, 1940

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

अधिसूचना

मुम्बई, 14 नवम्बर, 2018

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (इक्विटी शेयरों की असूचीबद्धता) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2018

सं. सेबी/ एल. ए. डी. - एन.आर. ओ./ जी. एन./ 2018/ 46.- बोर्ड, प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) की धारा 21क के साथ पठित धारा 31, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 30, धारा 11 की उप-धारा (1) तथा धारा 11क की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (इक्विटी शेयरों की असूचीबद्धता) विनियम, 2009 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्,-

1. इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (इक्विटी शेयरों की असूचीबद्धता) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2018 कहा जा सकेगा।
2. वे राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
3. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (इक्विटी शेयरों की असूचीबद्धता) विनियम, 2009 में,-

(क) विनियम 2 में,-

i. उप-विनियम (1) में,-

1. खंड (i) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्,-

“(क) “अर्जनकर्ता” (अक्रायरर) का वही अर्थ होगा जो भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) विनियम, 2011 में उसके लिए नियत है

तथा जिसने उक्त विनियमों के विनियम 5क के अनुसार कंपनी को असूचीबद्ध (डीलिस्ट) करने के लिए प्रस्ताव (ऑफर) लाने का विकल्प चुना हो।

स्पष्टीकरण.— इन विनियमों के तहत असूचीबद्धता के प्रस्ताव (डीलिस्टिंग ऑफर) के संबंध में संप्रवर्तक (प्रमोटर) का कोई भी संदर्भ असूचीबद्धता का प्रस्ताव लाने वाले अर्जनकर्ता के प्रति यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होगा।”

2. खंड (iii) निम्नलिखित खंड से प्रतिस्थापित हो जाएगा, अर्थात्:-

“(iii) “कंपनी” से कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 के अर्थ के अंतर्गत आने वाली कंपनी अभिप्रेत है और जिसमें तत्समय प्रवृत्त केन्द्रीय अधिनियम, राज्य के अधिनियम या प्रांतीय अधिनियम के तहत स्थापित निगमित निकाय (बॉडी कारपोरेट) या निगम (कारपोरेशन) शामिल है, जिसके इक्विटी शेयर मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध (लिस्टेड) हों;”

3. खंड (ivक) का लोप हो जाएगा।

4. खंड (v) निम्नलिखित खंड से प्रतिस्थापित हो जाएगा, अर्थात्:-

“(v) “सार्वजनिक शेयरधारकों” (पब्लिक शेयरहोल्डर्स) से, निम्नलिखित से भिन्न, इक्विटी शेयरों के धारक (होल्डर) अभिप्रेत हैं:

- (क) संप्रवर्तक (प्रमोटर), संप्रवर्तक समूह (प्रमोटर ग्रुप) तथा उनके साथ सामान्य मति से कार्य करने वाले व्यक्ति;
- (ख) अर्जनकर्ता तथा ऐसे अर्जनकर्ता (अर्जनकर्ताओं) के साथ सामान्य मति से कार्य करने वाले व्यक्ति; और
- (ग) अभिरक्षक (कस्टोडियन) के पास पड़े इक्विटी शेयरों की एवज में विदेश में जारी की गई निक्षेपागार रसीदों (डिपॉज़िटरी रिसीट्स) के धारक तथा इक्विटी शेयरों को धारण करने वाला ऐसा अभिरक्षक।”

ii. उप-विनियम (2) में, शब्द और चिह्न “संप्रवर्तक;” के पश्चात् दिए हुए चिह्न और शब्द “अर्जनकर्ता” और “सार्वजनिक शेयरधारिता” चिह्नों और शब्दों “संप्रवर्तक समूह (प्रमोटर ग्रुप)” से प्रतिस्थापित हो जाएंगे।

iii. उप-विनियम (3) में, अंक, चिह्न और शब्द “1956 (1956 का 1)”, अंकों, चिह्नों और शब्द “2013 (2013 का 18)” से प्रतिस्थापित हो जाएंगे।

(ख) विनियम 4 में, उप-विनियम (5) में, शब्दों “संप्रवर्तक समूह” के पश्चात् और शब्दों “या उनकी” से पूर्व, शब्द “या सामान्य मति से कार्य करने वाले व्यक्ति” अंतःस्थापित किए जाएंगे।

(ग) विनियम 6 में, खंड (ख) में, शब्द “न रहें” शब्दों “नहीं रहते” से प्रतिस्थापित हो जाएंगे।

(घ) विनियम 8 में,-

i. उप-विनियम (1) में, खंड (ख) में, परंतुक में, शब्द “कार्रवाई की जाएगी यदि और केवल यदि” शब्दों “कार्रवाई केवल तभी की जाएगी जब” से प्रतिस्थापित हो जाएंगे।

ii. उप-विनियम (1ड) में,-

- क. खंड (क) में, शब्द “अर्जनकर्ता या संप्रवर्तक या संप्रवर्तक समूह से संबंधित एंटिटियों या उनकी संबंधित एंटिटियों” शब्दों और चिह्नों “अर्जनकर्ता (एक्वायरर) या संप्रवर्तक (प्रोमोटर) या संप्रवर्तक समूह (प्रोमोटर ग्रुप) की एंटिटी अथवा उनकी संबंधित एंटिटियों में से किसी के” से प्रतिस्थापित हो जाएंगे।
- ख. खंड (ख) निम्नलिखित नए खंड से प्रतिस्थापित हो जाएगा, अर्थात्,-  
 “अर्जनकर्ता या संप्रवर्तक या संप्रवर्तक समूह की एंटिटी या सामान्य मति से कार्य करने वाले व्यक्तियों अथवा उनकी संबंधित एंटिटियों में से किसी ने असूचीबद्धता (डीलिस्टिंग) के प्रस्ताव की सफलता को सुकर बनाने के लिए ऐसा कोई लेनदेन (ट्रांजेक्शन / संव्यवहार) किया है या नहीं, जो विनियम 4 के उप-विनियम (5) के प्रावधानों (उपबंधों) का उल्लंघन करते हुए किया गया हो।”
- iii. उप-विनियम (4) में, खंड (घ) में, शब्द “सूचीबद्धता करार” शब्दों, चिह्नों और अंक “भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 2015” से प्रतिस्थापित हो जाएंगे।
- (ङ) विनियम 10 में,-
- i. उप-विनियम (3) निम्नलिखित से प्रतिस्थापित हो जाएगा, अर्थात्,-  
 “(3) सार्वजनिक घोषणा में भी एक तारीख निर्धारित होगी, जो सार्वजनिक घोषणा की तारीख से एक कार्य-दिवस के बाद की न हो, और जो उन शेयरधारकों के नाम तय करने हेतु ‘निर्धारित तारीख’ होगी जिन्हें प्रस्ताव-पत्र (लेटर ऑफ ऑफर) भेजा जाएगा।”
- ii. उप-विनियम (4) में, उक्त प्रावधान के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-  
 “स्पष्टीकरण.- कंपनी की ओर से पूरी तत्परता बरतने वाला (सम्यक् तत्परता बरतने वाला / ड्यू डिलीजेंस करने वाला) मर्चेट बैंककार (मर्चेट बैंकर) असूचीबद्धता के प्रस्ताव (डीलिस्टिंग ऑफर) के प्रबंधक (मैनेजर) के रूप में भी कार्य कर सकेगा।”
- (च) विनियम 11 में, उप-विनियम (3) में, उक्त प्रावधान के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् -  
 “स्पष्टीकरण.- निलंब खाते (एस्करो अकाउंट) में पड़ी नकदी को उस खाते में रखा जा सकेगा जिस पर ब्याज मिलता हो, बशर्ते कि मर्चेट बैंककार (बैंकर) यह सुनिश्चित करे कि शेयरधारकों को भुगतान करते समय पैसा (निधि / फंड) उपलब्ध रहे।”
- (छ) विनियम 12 में, उप-विनियम (4) में, उक्त प्रावधान के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् -  
 “स्पष्टीकरण.- पात्र सार्वजनिक शेयरधारक असूचीबद्धता के प्रस्ताव (डीलिस्टिंग ऑफर) में हिस्सा (भाग) ले सकेगा और बोलियाँ लगा सकेगा, फिर भले ही उसे बोली का फॉर्म (बिडिंग फॉर्म) या शेयर सौंपने का प्रस्ताव (टेंडर ऑफर) / प्रस्ताव का फॉर्म (ऑफर फॉर्म) प्राप्त न हुआ हो और ऐसा शेयरधारक शेयर सौंप (निविदत्त कर / टेंडर कर) सकेगा, उसी प्रकार जैसा इस संबंध में बोर्ड द्वारा निर्धारित किया गया हो।”

- (ज) विनियम 14 में,-
- उप-विनियम (3) में, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा,-  
“परंतु यह कि निक्षेपागार रसीदों (डिपॉज़िटरी रिसीट्स) के किसी भी धारक को उप-विनियम (1) के तहत उल्लिखित बही-निर्माण प्रक्रिया (बुक बिल्डिंग प्रोसेस) में हिस्सा (भाग) लेने की अनुमति ऐसी निक्षेपागार रसीदों को उस वर्ग के शेयरों से बदलने (विनिमय करने) के पश्चात् दी जाएगी, जिन्हें असूचीबद्ध (डीलिस्ट) कराए जाने का प्रस्ताव हो।”
  - उप-विनियम (4) का लोप हो जाएगा।
- (झ) विनियम 15 में, उप-विनियम (2) में, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्-  
“स्पष्टीकरण: निम्नतम कीमत (निम्नतम मूल्य / फ्लोर प्राइस) की गणना करने हेतु संदर्भ तारीख वह तारीख होगी जिस तारीख को मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) को बोर्ड की उस बैठक की सूचना देना अपेक्षित हो जिसमें असूचीबद्धता (डीलिस्टिंग) के प्रस्ताव पर विचार किया जाना हो।”
- (ञ) विनियम 16 में, शीर्षक “प्रस्ताव कीमत को स्वीकार न करने का संप्रवर्तक का अधिकार”, शीर्षक “कोई काउंटर ऑफर (प्रस्ताव) लाने या प्रस्ताव (ऑफर) को नामंजूर करने का संप्रवर्तक का अधिकार” से प्रतिस्थापित हो जाएगा।
- (ट) विनियम 16 में,-
- मौजूदा उप-विनियम (1) के पश्चात्, निम्नलिखित नया उप-विनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्-  
“(1क) यदि विनियम 15 के अनुसार निर्धारित की गई कीमत अर्जनकर्ता (एक्वायरर) या संप्रवर्तक (प्रोमोटर) को स्वीकार्य न हो, तो अर्जनकर्ता या संप्रवर्तक सार्वजनिक शेयरधारकों (पब्लिक शेयरहोल्डर्स) के लिए, विनियम 15 के तहत कीमत निर्धारित किए जाने के दो कार्य-दिवसों के भीतर, उसी प्रकार काउंटर ऑफर ला सकेगा, जैसा बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जाए:  
परंतु यह कि काउंटर ऑफर की कीमत कंपनी के बही मूल्य (बुक वैल्यू) से कम नहीं होगी, जिसे मर्चेन्ट बैंककार (बैंकर) द्वारा प्रमाणित किया जाएगा।”
  - उप-विनियम (2) में, खंड (क) में, शब्द “पैरा” शब्द “खंड” से प्रतिस्थापित हो जाएगा।
- (ठ) विनियम 17 में,-
- मौजूदा विनियम उप-विनियम (1) के रूप में संख्यांकित हो जाएगा;
  - शब्द “अध्याय” से पूर्व, शब्द, अंक और चिह्न “यदि काउंटर ऑफर अर्जनकर्ता या संप्रवर्तक द्वारा विनियम 16 (1क) के अनुसार न लाया गया हो, तो” अंतःस्थापित किए जाएंगे
  - परंतुक में, शब्द “यह अपेक्षा”, शब्दों, चिह्नों, अक्षर और अंक “उप-विनियम (1) के खंड (ख) के तहत दी गई अपेक्षा” से प्रतिस्थापित हो जाएंगे;
  - परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा,-

“स्पष्टीकरण-I.-

क. यदि अर्जनकर्ता (एक्वायरर) या मर्चेट बैंककार (बैंकर) सभी शेयरधारकों को भारतीय डाक के जरिए रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा या स्पीड पोस्ट द्वारा प्रस्ताव-पत्र (लेटर ऑफ ऑफर) भिजवाता है और भारतीय डाक के जरिए भिजवाए गए प्रस्ताव-पत्रों की सुपुर्दगी (डिलिवरी) की स्थिति [सुपुर्दगी (डिलिवरी) हो गई है या नहीं] के संबंध में विस्तृत ब्यौरा प्रदान करने में समर्थ है, तो उसके बारे में यह समझा जाएगा कि परंतुक का पालन कर लिया गया है।

ख. यदि अर्जनकर्ता या मर्चेट बैंककार (बैंकर) कुछ शेयरधारकों को भारतीय डाक के स्पीड पोस्ट या रजिस्ट्रीकृत डाक से भिन्न किसी अन्य माध्यम से प्रस्ताव-पत्र की सुपुर्दगी (डिलिवरी) करने में असमर्थ रहता है, तो उन्हें भारतीय डाक के जरिए स्पीड पोस्ट द्वारा या रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा प्रस्ताव-पत्रों की सुपुर्दगी करवाने के प्रयास किए जाने चाहिए। उस स्थिति में, प्रस्ताव-पत्र की सुपुर्दगी की स्थिति [सुपुर्दगी (डिलिवरी) हो गई है या नहीं] के संबंध में भारतीय डाक द्वारा प्रदान किए गए विस्तृत ब्यौरे के बारे में भी यह समझा जाएगा कि परंतुक का पालन कर लिया गया है।”

v. मौजूदा स्पष्टीकरण, “स्पष्टीकरण-II” के रूप में संख्यांकित हो जाएगा।

vi. संख्यांकित उप-विनियम (1) के पश्चात्, निम्नलिखित नया उप-विनियम (2) अंतःस्थापित किया जाएगा,-

“(2) यदि काउंटर ऑफर अर्जनकर्ता या संप्रवर्तक द्वारा विनियम 16(1क) के अनुसार लाया गया हो, तो अध्याय III के तहत लाए गए प्रस्ताव (ऑफर) को केवल तभी सफल माना जाएगा जब प्रस्ताव के पश्चात् संप्रवर्तक (प्रोमोटर) की शेयरधारिता (संप्रवर्तक के साथ सामान्य मति से कार्य करने वाले व्यक्तियों के साथ मिलकर) तथा काउंटर ऑफर की कीमत पर स्वीकार किए गए शेयरों का योग निर्गमित (जारी / इश्यू) किए गए उस वर्ग के कुल शेयरों [उन शेयरों को छोड़कर जो अभिरक्षक (कस्टोडियन) के पास पड़े हों और जिनकी एवज में विदेश में निक्षेपागार रसीदें (डिपॉज़िटरी रिसीट्स) जारी की गई हों] का नब्बे प्रतिशत हो जाए।”

(ड) विनियम 18 में, खंड (iii) का लोप हो जाएगा।

(ढ) विनियम 20 में, उप-विनियम (1) निम्नलिखित से प्रतिस्थापित हो जाएगा, अर्थात्,-

“(1) संप्रवर्तक (प्रोमोटर) प्रस्ताव (ऑफर) के सफल होने पर तुरंत, बोर्ड के पास रजिस्ट्रीकृत निर्गमन बैंककार (बैंकर टू एन इश्यू) के यहाँ एक विशेष खाता खोलेगा और उसमें, प्रस्ताव के तहत सौंपे गए (निविदत्त / टेंडर किए गए) इक्विटी शेयरों की बाबत प्रतिफल (कन्सिडरेशन) के रूप में देय पूरी रकम, निलंब खाते (एस्करो अकाउंट) से, अंतरित (ट्रान्सफर) करेगा।”

(ण) विनियम 21 में, उप-विनियम (1) निम्नलिखित से प्रतिस्थापित हो जाएगा, अर्थात्,-

“(1) जहाँ, इन विनियमों के अनुसार सौंपे गए (निविदत्त / टेंडर किए गए) इक्विटी शेयरों को स्वीकार किए जाने के अनुसरण में, इक्विटी शेयर असूचीबद्ध (डीलिस्ट) हो जाते हैं, वहाँ ऐसे इक्विटी शेयर धारण करने वाला कोई शेष सार्वजनिक शेयरधारक (पब्लिक शेयरहोल्डर) असूचीबद्धता की तारीख से न्यूनतम एक वर्ष की अवधि तक संप्रवर्तक को अपने शेयर सौंप सकेगा और, ऐसे मामले में, संप्रवर्तक सौंपे गए शेयरों को उसी अंतिम कीमत पर स्वीकार करेगा, जिस कीमत पर शेयर पहले स्वीकार किए गए थे।”

(त) विनियम 22 में,-

- i. उप-विनियम (3) में, शब्द, चिह्न और अंक “उप-विनियम (1) के अधीन आदेश देने से पूर्व” शब्दों, चिह्नों और अंक “उप-विनियम (1) के तहत आदेश पारित करने से पूर्व” से प्रतिस्थापित हो जाएंगे;
- ii. उप-विनियम (6) में, खंड (ख) निम्नलिखित से प्रतिस्थापित हो जाएगा, अर्थात्,-  
“(ख) ऐसी असूचीबद्धता (डीलिस्टिंग) के बारे में उन सभी अन्य स्टॉक एक्सचेंजों को सूचित करेगा, जहाँ कंपनी के इक्विटी शेयर सूचीबद्ध हों।”

(थ) विनियम 23 में,-

- i. मौजूदा उप-विनियम (1) उप-विनियम (2) के रूप में पुनःसंख्यांकित हो जाएगा;
- ii. मौजूदा उप-विनियम (2) उप-विनियम (1) के रूप में पुनःसंख्यांकित हो जाएगा और उसमें दिए हुए शब्द, चिह्न और अंक “उप-विनियम (1) के प्रयोजनों के लिए” शब्दों, चिह्नों और अंक “उप-विनियम (2) के प्रयोजनार्थ” से प्रतिस्थापित हो जाएंगे;
- iii. उप-विनियम (3) में, शब्द और चिह्न “कंपनी का संप्रवर्तक सार्वजनिक शेयरधारकों से असूचीबद्ध इक्विटी शेयर मूल्यांकक द्वारा अवधारित मूल्य उन्हें अदा करते हुए अर्जित करेगा, उनके शेयरों को रखे रहने के उनके विकल्प के अध्यक्षीन” शब्दों और चिह्नों “कंपनी का संप्रवर्तक (प्रोमोटर), मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज से असूचीबद्ध होने की तारीख से तीन महीनों के भीतर, सार्वजनिक शेयरधारकों से असूचीबद्ध इक्विटी शेयर उन्हें मूल्यांकक द्वारा निर्धारित (तय किया गया) मूल्य अदा करके अर्जित करेगा, बशर्ते कि उनके पास अपने शेयर रखे रहने का विकल्प होगा” से प्रतिस्थापित हो जाएंगे।

(द) मौजूदा विनियम 24 उप-विनियम (1) के रूप में संख्यांकित हो जाएगा और इस प्रकार संख्यांकित उप-विनियम (1) के पश्चात्, निम्नलिखित नया उप-विनियम अंतःस्थापित किया जाएगा,-

“(2) ऐसी कंपनियों के मामले में जिनका उचित मूल्य (फेयर वैल्यू) धनात्मक हो -

- (क) ऐसी कंपनी और निक्षेपागार (डिपॉज़िटरी) संप्रवर्तकों (प्रोमोटर्स) / संप्रवर्तक समूह (प्रोमोटर ग्रुप) द्वारा धारित किन्हीं इक्विटी शेयरों का अंतरण (ट्रांसफर) [बिक्री, गिरवी, आदि के जरिए] तब तक नहीं करेंगे, और संप्रवर्तकों / संप्रवर्तक समूह द्वारा धारित सभी इक्विटी शेयरों के संबंध में कंपनी फायदों (कारपोरेट बेनिफिट्स) [जैसे लांभांश (डिविडेंड), साधिकार (राइट्स), बोनस शेयर, विभाजन

(स्प्लिट), आदि) पर तब तक रोक लगी रहेगी, जब तक ऐसी कंपनी के संप्रवर्तक विनियम 23 के उप-विनियम (3) के अनुसार सार्वजनिक शेयरधारकों (पब्लिक शेयरहोल्डर्स) को निकास का विकल्प (एग्जिट ऑप्शन) प्रदान नहीं कर देते, जिसे संबंधित मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज द्वारा प्रमाणित किया जाएगा;

(ख) अनिवार्यतः असूचीबद्ध कंपनी के संप्रवर्तक और पूर्णकालिक निदेशक तब तक किसी सूचीबद्ध (लिस्टिड) कंपनी के निदेशक बनने के लिए भी पात्र नहीं होंगे, जब तक ऊपर खंड (क) में यथा उल्लिखित निकास का विकल्प (एग्जिट ऑप्शन) प्रदान न कर दिया जाए।”

(ध) विनियम 25 निम्नलिखित से प्रतिस्थापित हो जाएगा, अर्थात्,-

**“25. स्पष्टीकरण जारी करने की बोर्ड की शक्ति.-** इन विनियमों के लागू होने या इनकी व्याख्या (निर्वचन) के संबंध में किन्हीं कठिनाइयों को दूर करने के लिए, बोर्ड समय-समय पर स्पष्टीकरण और दिशानिर्देश (मार्गदर्शक सिद्धांत / गाइडलाइन्स) जारी कर सकेगा।”

(न) विनियम 25क में, उप-विनियम (3) में, शब्द, चिह्न और अंक “उप-विनियम (3)” शब्दों, चिह्नों और अंक “उप-विनियम (2)” से प्रतिस्थापित हो जाएंगे।

(प) विनियम 26 में, परंतुक का लोप हो जाएगा।

(फ) विनियम 27 में, उप-विनियम (3) में, खंड (घ) निम्नलिखित से प्रतिस्थापित हो जाएगा, अर्थात्,-

“(घ) सार्वजनिक शेयरधारिता का नब्बे प्रतिशत या उससे अधिक धारण (होल्ड) करने वाले सार्वजनिक शेयरधारक (पब्लिक शेयरहोल्डर्स), चाहे उनकी संख्या कितनी भी हो, असूचीबद्धता के प्रस्ताव के प्रति लिखित रूप में अपनी सहमति देते हैं, और जिन्होंने या तो संप्रवर्तक (प्रोमोटर) द्वारा प्रस्तावित कीमत पर अपने इक्विटी शेयरों को बेचने की सहमति दे दी हो या इक्विटी शेयरों के असूचीबद्ध हो जाने के बाद भी उनके धारक (होल्डर) बने रहने की सहमति दे दी हो;”

(ब) विनियम 31 में,-

- शीर्षक “संक्रमणकालीन उपबंध” शब्दों “निरसन और व्यावृत्तियाँ” से प्रतिस्थापित हो जाएगा;
- उप-विनियम (2) में, शब्द, चिह्न और अंक “भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (इक्विटी शेयरों की असूचीबद्धता) विनियम, 2009 [भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (इक्विटी शेयरों की असूचीबद्धता) (संशोधन) विनियम, 2015 द्वारा यथा संशोधित]” शब्दों, चिह्नों और अंक “भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (इक्विटी शेयरों की असूचीबद्धता) विनियम, 2009 (समय-समय पर यथा संशोधित)” से प्रतिस्थापित हो जाएंगे।

**अजय त्यागी, अध्यक्ष**

[विज्ञापन-III/4/असा./341/18]

**पाद टिप्पण :**

1. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (इक्विटी शेयरों की असूचीबद्धता) विनियम, 2009, सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2009-2010/09/165992 द्वारा, 10 जून 2009 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे।
2. मूल विनियम तत्पश्चात् :
  - (क) 8 अक्तूबर 2013 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड {संस्थागत व्यापारिक (ट्रेडिंग) प्लेटफार्म पर विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों की सूचीबद्धता} विनियम, 2013, सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2013-14/28/6720, द्वारा
  - (ख) 24 मार्च 2015 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (इक्विटी शेयरों की असूचीबद्धता) (संशोधन) विनियम, 2015, सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2014-15/27/541, द्वारा
  - (ग) 14 अगस्त 2015 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (इक्विटी शेयरों की असूचीबद्धता) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2015, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2015-16/010, द्वारा
  - (घ) 12 जनवरी 2016 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (इक्विटी शेयरों की असूचीबद्धता) (संशोधन) विनियम, 2016, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2015-16/030, द्वारा
  - (ङ) 6 मार्च, 2017 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (फीस का भुगतान और भुगतान का माध्यम) (संशोधन) विनियम, 2017, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/037, द्वारा
  - (च) 1 जून 2018 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (इक्विटी शेयरों की असूचीबद्धता) (संशोधन) विनियम, 2018, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2018/23, द्वारा संशोधित हुए थे।

**SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA****NOTIFICATION**

Mumbai, the 14<sup>th</sup> November, 2018

**SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (DELISTING OF EQUITY SHARES) (SECOND AMENDMENT) REGULATIONS, 2018**

**No. SEBI/LAD-NRO/GN/2018/46 .—**In exercise of the powers conferred by section 31 read with section 21A of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 (42 of 1956), section 30, sub-section (1) of section 11 and sub-section (2) of section 11A of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), the Board hereby makes the following Regulations to further amend the Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2009, namely, -

1. These regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares) (Second Amendment) Regulations, 2018.
2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.



3. In the Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2009,—

(a) in regulation 2,—

i. in sub-regulation (1),—

1. after clause (i), the following clause shall be inserted, namely,—

“(ia) ‘acquirer’ shall have the same meaning as assigned to it in the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011 and who has chosen to make an offer for delisting the company in accordance with regulation 5A of the said Regulations.

Explanation. — Any reference made to the promoter in relation to a delisting offer under these regulations shall apply mutatis mutandis to an acquirer making a delisting offer.”

2. clause (iii) shall be substituted with the following clause, namely,—

“(iii) ‘company’ means a company within the meaning of section 2 of the Companies Act, 2013 and includes a body corporate or corporation established under a Central Act, State Act or Provincial Act for the time being in force, whose equity shares are listed on a recognised stock exchange;”

3. clause (iva) shall be omitted.

4. clause (v) shall be substituted by the following clause, namely,—

“(v) ‘public shareholders’ mean the holders of equity shares, other than the following:

(a) promoters, promoter group and persons acting in concert with them;

(b) acquirer(s) and persons acting in concert with such acquirer(s);  
and

(c) holders of depository receipts issued overseas against equity shares held with a custodian and such custodian holding the equity shares.”

ii. in sub-regulation (2),—

1. the words “promoter group” shall be inserted after the word “promoter”; and

2. the words “acquirer” and “public shareholding” shall be omitted.
- iii. in sub-regulation (3), the words and figures “1956 (1 of 1956)” shall be substituted by the words and figures “2013 (18 of 2013)”.
- (b) in regulation 4, in sub-regulation (5), after the words “promoter group” and before the words “or their”, the words “or persons acting in concert” shall be inserted.
- (c) in regulation 6, in clause (b), the word “would” shall be substituted with the word “do”.
- (d) in regulation 8,—
- i. in sub-regulation (1), in clause (b), in the proviso, the words “if and” shall be omitted.
- ii. in sub-regulation (1E),—
- a. in clause (a), the words “the entities belonging to acquirer or promoter or promoter group” shall be substituted with the words “any of the acquirer or promoter or promoter group entity”.
- b. clause (b) shall be substituted with the following new clause, namely,—
- “any of the acquirer or promoter or promoter group entity or persons acting in concert or their related entities have carried out or not any transaction to facilitate the success of the delisting offer which is in contravention of the provisions of sub-regulation (5) of regulation 4.”
- iii. in sub-regulation (4), in clause (d), the words “listing agreement” shall be substituted with the words, symbols and numbers “Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015”.
- (e) in regulation 10,—
- i. in sub-regulation (3), the words ‘thirty working days’ shall be substituted by the words “one working day”;
- ii. in sub-regulation (4), the following explanation shall be inserted after the said provision, namely:—
- “Explanation. — The merchant banker conducting due diligence on behalf of the company may also act as the manager to the delisting offer.”
- (f) in regulation 11, in sub-regulation (3), the following explanation shall be inserted after the said provision, namely —

“Explanation. — The cash component of the escrow account may be maintained in an interest bearing account, provided that the merchant banker ensures that the funds are available at the time of making payment to shareholders.”

- (g) in regulation 12, in sub-regulation (4), the following explanation shall be inserted after the said provision, namely—

“Explanation. — An eligible public shareholder may participate in the delisting offer and make bids even if he does not receive the bidding form or the tender offer /offer form and such shareholder may tender shares in the manner specified by the Board in this regard.”

- (h) in regulation 14,—

- i. in sub-regulation (3), the following proviso shall be inserted,—

“Provided that any holder of depository receipts shall be allowed to participate in the book building process under sub-regulation (1) after exchanging such depository receipts with the shares of the class that are proposed to be delisted.”

- ii. sub-regulation (4) shall be omitted.

- (i) in regulation 15, in sub-regulation (2), the following explanation shall be inserted, namely—

“Explanation: The reference date for computing the floor price would be the date on which the recognized stock exchange/s were required to be notified of the board meeting in which the delisting proposal would be considered.”

- (j) in regulation 16, the title “Right of the promoter not to accept the offer price” shall be substituted with the title “Right of the promoter to either make a counter offer or reject the offer”.

- (k) in regulation 16,—

- i. after the existing sub-regulation (1), the following new sub-regulation shall be inserted, namely—

“(1A) If the price discovered in terms of regulation 15 is not acceptable to the acquirer or the promoter, the acquirer or the promoter may make a counter offer to the public shareholders within two working days of the price discovered under regulation 15, in the manner specified by the Board from time to time:

Provided that the counter offer price shall not be less than the book value of the company as certified by the merchant banker.”

- ii. in sub-regulation (2), in clause (a), the word “paragraphs” shall be substituted with the word “clauses”.

(l) in regulation 17,—

- i. the existing regulation shall be numbered as sub-regulation (1);
- ii. the word “An” shall be omitted and in its place, the words “If a counter offer has not been made by the acquirer or promoter in accordance with regulation 16 (1A), an” shall be inserted;
- iii. in the proviso, the words “this requirement” shall be substituted with the words “the requirement under clause (b) of sub-regulation (1)”;
- iv. after the proviso, the following explanation shall be inserted,—

“Explanation I.—

- a. If the acquirer or the merchant banker send the letters of offer to all the shareholders by registered post or speed post through India Post and is able to provide a detailed account regarding the status of delivery of the letters of offer (whether delivered or not) sent through India Post, the same would be considered as a deemed compliance with the proviso.
- b. If the acquirer or the merchant banker is unable to deliver the letter of offer to certain shareholders by modes other than speed post or registered post of India Post, efforts should be made to deliver the letters of offer to them by speed post or registered post through India Post. In that case, a detailed account regarding the status of delivery of letter of offer (whether delivered or not) provided from India Post would also be considered as deemed compliance with the proviso.
- v. the existing Explanation shall be numbered as Explanation II.
- vi. after the numbered sub-regulation (1), the following new sub-regulation (2) shall be inserted,—

“(2) If a counter offer has been made by the acquirer or promoter in accordance with regulation 16(1A), an offer made under chapter III shall be deemed to be successful only if the post offer promoter shareholding (along with the persons acting in concert with the promoter) taken together with the shares accepted at the counter offer price reaches ninety per cent. of the total

issued shares of that class excluding the shares which are held by a custodian and against which depository receipts have been issued overseas.”

- (m) in regulation 18,—
- i. the word “the” shall be inserted before the words “closure of the offer”;
  - ii. clause (iii) shall be omitted.
- (n) in regulation 20, in sub-regulation (1), the words “on ascertaining” shall be substituted with the word “upon”.
- (o) in regulation 21, in sub-regulation (1), the word ‘atleast’ shall be substituted by the word “minimum”.
- (p) in regulation 22,—
- i. in sub-regulation (3), the word “making” shall be substituted with the word “passing”;
  - ii. in sub-regulation (6), in clause (b), the words ‘and the surrounding circumstances’ shall be omitted.
- (q) in regulation 23,—
- i. the existing sub-regulation (1) shall be renumbered as sub-regulation (2);
  - ii. the existing sub-regulation (2) shall be re-numbered as sub-regulation (1) and the words and figure “sub-regulation (1)” appearing therein shall be substituted with the words and figure “sub-regulation (2)”;
  - iii. in sub-regulation (3), after the words “the valuer” and before the symbol “;”, the words “within three months of the date of delisting from the recognised stock exchange” shall be inserted.
- (r) the existing regulation 24 shall be numbered as sub-regulation (1) and after sub-regulation (1) so numbered, the following new sub-regulation shall be inserted,—
- “(2) In case of such companies whose fair value is positive—
- (a) such a company and the depositories shall not effect transfer, by way of sale, pledge, etc., of any of the equity shares held by the promoters/ promoter group and the corporate benefits like dividend, rights, bonus shares, split, etc. shall be frozen for all the equity shares held by the promoters/ promoter group, till the promoters of such company provide an exit option to the public shareholders in compliance with sub-regulation (3) of regulation 23, as certified by the concerned recognized stock exchange;

- (b) the promoters and whole-time directors of the compulsorily delisted company shall also not be eligible to become directors of any listed company till the exit option as stated in clause (a) above is provided.
- (s) in regulation 25, the words ‘in the form of circulars’ shall be substituted with the words “from time to time”.
- (t) in regulation 25A, in sub-regulation (3), the words and figure “sub-regulation (3)” shall be substituted with the words and figure “sub-regulation (2)”.
- (u) in regulation 26, the proviso shall be omitted.
- (v) in regulation 27, in sub-regulation (3), in clause (d), the words “at least ninety per cent of such public shareholders give their positive consent” shall be substituted with the words “the public shareholders, irrespective of their numbers, holding ninety percent or more of the public shareholding give their consent”.
- (w) in regulation 31,—
- i. the heading “Transitional provisions” shall be substituted with words “Repeal and Savings”;
  - ii. in sub-regulation (2), the words and figure “Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity) Regulations, 2009 as amended by the Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares) Amendment) Regulations, 2015” shall be substituted with the words, figure and symbol “Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2009, as amended from time to time”.

AJAY TYAGI, Chairman  
[ADVT.-III/4/Exty./341/18]

**Footnote:**

1. The SEBI (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2009, were published in the Gazette of India on 10 June, 2009 vide No. LAD-NRO/GN/2009-2010/09/165992.
2. The Principal Regulations were subsequently amended on:
  - a) October 8, 2013 by the SEBI (Listing of Specified Securities on Institutional Trading Platform) Regulations, 2013 vide No. LAD-NRO/GN/2013-14/28/6720.
  - b) March 24, 2015 by the SEBI (Delisting of Equity Shares) (Amendment) Regulations, 2015 vide No. LAD-NRO/GN/2014-15/27/541.
  - c) August 14, 2015 by the SEBI (Delisting of Equity Shares) (Second Amendment) Regulations, 2015 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2015-16/010.

- d) January 12, 2016 by the SEBI (Delisting of Equity Shares) (Amendment) Regulations, 2016 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2015-16/30.
- e) March 6, 2017 by the SEBI (Payment of fees and mode of payment) (Amendment) Regulations, 2017 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2016-17/037.
- f) June 1, 2018 by the SEBI (Delisting of Equity Shares) (Amendment) Regulations, 2018 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2018/23.

\*\*\*\*\*